न्यायालय भूमि सुधार उपसमाहर्त्ता, खूँटी

अनुमति वाद संख्या :– 617/21–22

(छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा – 46)

मन्नान कच्छप – **विक्रेता**

निशि खलखो – **क्रेता**

आदेश की क्रम संख्या और तारीख	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे में टिप्पणी, तारीख सहित
25.09.23		

आदेश

आवेदक मन्नान कच्छप पिता स्व0 बसन्त कच्छप ग्राम–चन्दाटोली, थाना–कर्रा, जिला खूँटी ने निशि खलखो पति संजय बखला ग्राम–कच्चाबारी, थाना–कर्रा, जिला खूँटी के साथ निम्नलिखित भूमि के विक्रय हेतु छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम की धारा 46 के अन्तर्गत अनुमति हेतू आवेदन पत्र दिया है।

ग्राम	थाना नं0	खाता नं0	खेसरा सं0	रकवा (एकड़ में)
तिग्गा	163	8	65	0.08½

उभय पक्ष अपने विद्वान अधिवक्ता के साथ उपस्थित हुए खतियान/आवासीय प्रमाणपत्र/जाति प्रमाणपत्र एवं लगान की रसीद 1486385751 की छायाप्रति प्रस्तुत की गई। नोटिस का तामिला प्रतिवेदन प्राप्त है। अंचल अधिकारी, कर्रा के पत्रांक 569 दिनांक 18.08.2022 से जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है। जाँच प्रतिवेदन के अनुसार प्रश्नगत भूमि खतियानी है। खतियानी रैयत का नाम टेंगरा उराँव वगैरह हैं। पंजी II के अनुसार बुधु उराँव के नाम भूमि का रकवा 7.75 एकड़ भूमि है। आवेदक के पास कुल रकवा 3.39 एकड़ भूमि सम्मिलात है। मालगुजारी का भुगतान वित्तीय वर्ष 2021–22 तक किया गया है। भूमि का न्यूनतम प्रस्तावित दर 15158.00(पन्द्रह हजार एक सौ अंठावन) रूपये भूमि विक्रय के बाद आवेदक के पास भूमि अवशेष 3.30½ एकड़ रह जाती है। इस प्रकार आवेदक भूमिहीन नहीं होते हैं।

आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता का कथन है कि क्रेता एवं विक्रेता एक ही थाना कर्रा के निवासी हैं एंव एक ही जाति (अनुसूचित जनजाति समुदाय) के सदस्य हैं। आवेदक अपने हिस्से की भूमि जो इनके दखल कब्जे की है। जिसे मकान बनाने हेतु विक्री करना चाहते हैं। प्रश्नगत भूमि गैर मजरूआ आम, खास, मन्दिर, मस्जिद, भूईहरी, पहनाई, कैसरेहिन्द, भूहदवन्दी एवं खुटकटी के दायरे में नहीं है। अंचल अधिकारी, कर्रा ने क्रेता–विक्रेता को भूमि क्रय–विक्रय करने हेतु अनुशंसा किये हैं।

आवेदिका के विद्वान अधिवक्ता को सुनने प्रस्तुत कागजात एवं अंचल अधिकारी, कर्रा से प्राप्त प्रतिवेदन के अवलोकन एवं किसी प्रकार की आपत्ति प्राप्त नहीं होने के कारण मन्नान कच्छप पिता स्व0 बसन्त कच्छप को निशि खलखो पति संजय बखला के साथ ग्राम तिग्गा खाता सं0 8 खेसरा संख्या 65 कुल रकबा 0.08½ एकड़ भूमि न्यूनतम प्रस्तावित दर दर 15158.00(पन्द्रह हजार एक सौ अंठावन)रूपये प्रति डिसमिल या जिला अवर निबंधक, खूँटी के द्वारा निर्धारित दर पर अंचल अधिकारी, कर्रा के अनुशंसा के आधार पर भूमि विक्रय की अनुमति दी जाती है।

इस आदेश से अन्य अंशदार या हिस्सेदार का हक प्रभावित नहीं होगा। अभिलेख अभिलेखागार, खूँटी में जमा करें।

लेखापित एवं संशोधित

Digitally signed by ARVIND KUMAR OJHA
Date: 2023.12.18 18:31:35 +05:30
Location: 192.168.1.103

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।

भूमि सुधार उप समाहर्त्ता,
खूँटी।